UPGK010023042026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 979/2026,

अर्जुन वर्मा पुत्र स्व0 रमाकांत वर्मा,
निवासी- वार्ड नं0- 23, बरहज, थाना- बरहज,
जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 21/2026,
धारा- 190,191 (1),191 (2),109,308,352,351 (3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- कैण्ट, जनपद- गोरखपुर।

17.03.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त अर्जुन वर्मा, जो अपराध संख्या- 21/2026, धारा- 190,191 (1),191 (2),109,308,352,351 (3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कैण्ट, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार कुछ समय पूर्व प्रथम सूचनाकर्ता विशाल मिश्रा के अस्पताल पर अंशिका सिंह एवं बंटी वर्मा आये थे, जिन्होने बातचीत कर प्रथम सूचनाकर्ता का मोबाईल नम्बर ले लिया था। कुछ दिनो बाद अंशिका पुनः बंटी वर्मा के साथ आयी और अस्पताल के बाहर बुलाकर पिस्टल दिखाते हुए धमकी दी तथा प्रथम सूचनाकर्ता से 12,000/-रूपये जबरन ले लिए और कहा कि यदि किसी से बताया, तो जान से मार देंगे तथा झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसा देंगे। दिनांक 20.01.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता अपने साथी अमिताभ व शैलेश निषाद के साथ करजहॉ में मौजूद था, तभी अंशिका ने अपने मोबाईल नम्बर 7897828598 से प्रथम सूचनाकर्ता के मोबाईल नम्बर 9918930251 पर फोन कर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि जीवित रहना चाहते हो, तो तुरन्त 50,000/-रूपये लेकर उसके बताए स्थान पर आ जाओ, अन्यथा तुम्हे तथा तुम्हारे परिवार को मरवा दूँगी। किसी प्रकार 20,000/-रूपये की व्यवस्था कर प्रथम सूचनाकर्ता अपने साथी शैलेश एवं अमिताभ के साथ शाम करीब 05:00 बजे अपनी कार से उसके बताए स्थान सिंघरिया माडल शाप पहुँचा, वहाँ पहले से अंशिका, बंटी वर्मा व उनके 4-5 अन्य साथी एक काले रंग की स्कार्पियो गाड़ी से मौजूद थे और प्रथम सूचनाकर्ता को देखते ही सभी लोग

प्रथम सूचनाकर्ता के पास आए और धमकी देते हुए पैसे के बारे में पूछने लगे। जब प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा पूरी रकम न जुटा पाने की असमर्थता व्यक्त की गई, तो सभी लोग गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे, तो शैलेश व अमिताभ ने बीच-बचाव किया। इसी दौरान अंशिका ने पिस्टल निकालकर प्रथम सूचनाकर्ता के सीने पर रख दी और कहा कि यदि पूरे पैसे नहीं दिए, तो आज जान से मार दूंगी और बच गए तो झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसा दूँगी। प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा भागने का प्रयास करने पर अंशिका ने जान से मारने की नीयत से अपने पिस्टल से फायर कर दिया। प्रथम सूचनाकर्ता के बगल हट जाने के कारण गोली प्रथम सूचनाकर्ता के साथी अमिताभ के पेट में जा लगी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका/ अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को मात्र रंजिशन उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई हेतुक नहीं है। पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के मोबाईल से बातचीत को आधार बनाकर अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से रंगदारी के रूपयों की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा गोली चलाना नहीं कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा आपराधिक षडयन्त्र के तहत एक राय होकर सामान्य आशय से पिस्टल से प्रथम सूचनाकर्ता विशाल मिश्रा पर फायर किया और प्रथम सूचनाकर्ता के बगल हट जाने के कारण गोली प्रथम सूचनाकर्ता के साथी अमिताभ के पेट में लग गयी। सह-अभियुक्ता द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फसाने की धमकी देते हुए रूपये की मांग की गयी तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। दौरान विवेचना तथाकथित घटना में प्रयुक्त पिस्टल सह-अभियुक्ता की निशानदेही पर बरामद किया गया है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

यद्यपि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है, किन्तु दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में संलिप्तता प्रकाश में आयी है। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त के विरूद्ध आहत अमिताभ के पेट में पिस्टल से गोली मारकर गम्भीर उपहति कारित किये जाने, प्रथम सूचनाकर्ता विशाल मिश्रा को झूठे बलात्कार के मुकदमे में फसाने की

धमकी देते हुए रूपये की मांग करने तथा गाली-गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का गम्भीर अभिकथन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता विशाल मिश्रा के द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में विस्तृत कथन करते हुए कहा है कि बंटी वर्मा ने अपने पास से पिस्टल निकाल कर अंशिका को दिया। अंशिका ने पिस्टल इसके सीने पर रख दी और कहा कि यदि पूरे पैसे नहीं दिए तो जान से मार दूँगी और बच गए, तो झूठे बलात्कार के मुकदमे में फँसा दूँगी। इसके द्वारा भागने का प्रयास करने पर अंशिका ने जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर दिया। इसके बगल हट जाने के कारण गोली इसके साथी अमिताभ के पेट में जा लगी। उपरोक्त आशय का ही कथन घटना के चक्षुदर्शी साक्षी शैलेष निषाद द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये हैं। आहत साक्षी अमिताभ कुमार निषाद द्वारा विवेचक के समक्ष कथन किया गया है कि अंशिका सिंह के साथ आये बन्टी वर्मा उर्फ आकाश वर्मा व बंटी के दोस्ट अर्जुन, शिवम सिंह व अज्ञात अंशिका को ललकारने लगे कि साला पैसा लेकर नहीं आया है, मारो इसे, इसी बात पर अंशिका ने पिस्टल से विशाल के ऊपर जान मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें बचने की कोशिश में गोली विशाल को न लग कर इसको लग गई। गोली लगने के बाद वहाॅ अफरा-तफरी का माहौल हो गया तथा बन्टी वर्मा उर्फ आकाश वर्मा व बन्टी के दोस्त अर्जुन, शिवम सिंह तथा अज्ञात अपनी काले रंग की स्कार्पियो में बैठ कर भागे तथा इतनी जल्दी में थे कि मौके पर अंशिका छुट गई, जिसे बाद में पुलिस द्वारा अंशिका को गिरफ्तार कर लिया गया। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत के शरीर पर आग्नेयास्त्र की उपहति आना उल्लिखित है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया प्रचलित है तथा मामला अभी विवेचनाधीन है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त अर्जुन वर्मा की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
17 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.17 16:10:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court